

सिविल कोर्ट, गुमला ।

गुमला जिला में व्यवहार न्यायालय एवं परिवार न्यायालय के अनुसेवक, प्रोसेस सर्वर (चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों) के कुल 13, एक ट्रेजरी सरकार, एक जेरोक्स-सह-जेनरेटर ऑपरेटर, पदों के रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं तथा उक्त पदों में आदर्श आरक्षण रोस्टर झारखण्ड राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा । ट्रेजरी सरकार तथा जेरोक्स-सह-जेनरेटर ऑपरेटर के लिए अलग से आवेदन देना होगा ।

उक्त पदों में व्यवहार न्यायालय के 6 रिक्त पदों की कोटि निम्नवत है:-

क्र. सं.		पद	अर्हता
01	2	03	04
1.	अनुसेवक	6 (सा-3) (अ.ज.जा. -3)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए (झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग ज्ञापांक 06/एस0-04 (के0पू0)-04/2011 1859/वी, राँची दिनांक 02.09., ज्ञापांक बी0 01/विधि -स्थाा0 81/2011-2011-2326/जे0 राँची दिनांक 19.09.2011 विधि न्या विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के अनुसार) हिन्दी, अंग्रेजी, पढ़ने लिखने एवं पुकार करने तथा साईकिल चलाने की योग्यता (धोबी, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, रसोईयार गाड़ी चलाने आदि की विशेष योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी) ।
कुटुम्ब न्यायालय (फेमली कोर्ट) गुमला के 7 रिक्त पदों की कोटि निम्नवत है:-			
01	2	3	04
1.	आदेशपाल	(सा.-1) (अ.ज.जा. -1)	तथैव
2	कार्यालय चपरासी	(सा.-1)	तथैव
3	प्रोसेस सर्वर	(सा.-2.) अ. ज.जा.-2)	तथैव

1.	ट्रेजरी सरकार	(सा.1)	तथैव (प्राथमिकता उन्हें दी जायेगी, जिन्हें कम्प्यूटर चलाने की विशेष जानकारी हो)
2.	जेरोक्स-सह-जेनरेटर ऑपरेटर	(सा.1)	तथैव (प्राथमिकता उन्हें दी जायेगी, जिन्हें बिजली और मशीनरी संबंधी गड़बड़ियों को ठीक करने का अनुभव हो)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक 2096 दिनांक 25.04.2011 द्वारा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है । (उम्र की संगणना विज्ञापन की तिथि से की जायेगी)

आरक्षित वर्ग के आवेदक को आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण का लाभ झारखण्ड सरकार के तहत नियमानुसार केवल झारखण्ड राज्य के निवासियों को दिया जायेगा ।

उपरोक्त सभी पदों के लिए अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, महिला अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एव महिला) क्रमशः न्यूनतम 18-35 वर्ष, 18-37 वर्ष,, 18-38 वर्ष, 18-40 वर्ष, अनारक्षित, विकलांगों के लिए/ पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, महिला अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एव महिला) के लिए अधिकतम क्रमशः 40 वर्ष, 42 वर्ष, 43 वर्ष,, 45 वर्ष, ।

उपरोक्त रिक्तियों के लिए संक्षम उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । (टंकित अथवा मुद्रित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।)

निबंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने का पता:- सेवा में,

प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, गुमला ।

पिन:- 835207 (झारखण्ड)

गुमला जिला व्यवहार न्यायालय व परिवार न्यायालय के लिए चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु विहित आवेदन-पत्र

आवेदन-प्रपत्र

सेवा में,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

गुमला ।

1. पद का नाम :.....

2. आवेदक का नाम :.....

पासपोर्ट साईज फोटो
चिपकार्यें

3. पिता/पति का नाम :.....
4. जन्म तिथि :.....
- 01.04.2015 को उम्र :..... महीना..... दिन.....
5. आरक्षण का विवरण :.....

यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग या अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, यदि हाँ तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें

6. कोटि :.....
7. स्थायी पता : ग्राम.....डाकघर.....
थाना.....जिला-.....राज्य.....पिन.....
8. वर्तमान पता : : ग्राम.....डाकघर.....
थाना.....जिला-.....राज्य.....पिन.....
9. पत्राचार का पता : : ग्राम.....डाकघर.....
थाना.....जिला-.....राज्य.....पिन.....
- फोन नं०.....E-Mail ID (यदि हो, तो).....

10. शैक्षणिक योग्यता:-

वर्ग(विद्यालय का नाम)	श्रेणी	प्रतिशत	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम

11. क्या किसी आपराधिक मामले में सजा हुई/लंबित है/रिहाई हुई यदि लागू हो तो विवरण दें ।.....
12. साईकिल चलाने का अनुभव हाँ/नहीं :-.....
13. अन्य योग्यता (यदि कोई हो, तो) :.....

उद्घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में वर्णित सभी तथ्य सही हैं यदि कोई तथ्य/जानकारी असत्य पायी जाय तथा मेरी पात्रता/चयन बिना नोटिस दिये रद्द किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

स्थान:-दिनांक:-

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :

आवेदक का हस्ताक्षर

उम्मीदवार द्वारा आवेदन विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय गुमला के नाम से कार्य दिवस में दिनांक 11.1.2016 (पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे तक) के अंदर आमंत्रित किये जाते हैं । उसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । आवेदन के साथ स्व अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण-पत्र एवं एक स्व पता लिखित लिफाफा (21 x 12 सेंटीमीटर तथा 30 रु० का डाक टिकट के साथ) अवश्य संलग्न करें । आवेदन में अपनी दो फोटो जो स्व अभिप्रमाणित हो, आवेदन पत्र में विहित स्थान पर एक चिपकायें एवं एक संलग्न करें ।

(विज्ञापन संबंधी जानकारी व्यवहार, गुमला के Website - ecourts.gov.in/gumla तथा व्यवहार न्यायालय गुमला के सूचना पट्टीका पर भी देखी जा सकती है)। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है । झारखण्ड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1883 दिनांक 26.2.2015 पठित पत्रांक 4786 दिनांक 01.06.2015 तथा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों से जिन संस्थानों की डिग्री/ प्रमाण पत्रों की मान्यता नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए अमान्य कर दी गयी है, (मान्यता समाप्त कर दी गयी है) वैसे डिग्री/ प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी नहीं मानी जायेगी ।